रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 335] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 4, 1992/श्रावण 13, 1914
No. 335] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 4, 1992/SRAVANA 13, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1992

सा.का.नि 711(अ) --केन्द्रीय सरकार वन्यजीव सरक्षक अधिनियम, 1972 भाग 2 का 53ङ की धारा 63 की उपधारा (1) के खण्ड (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्–

1 सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमो का सक्षिप्त नाम चिडियाघर की मान्यता नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे।

2 परिभाषाए–इन नियमो मे जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से वन्यजीव (सरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अभिप्रेत है,

(ख) "बाडा" से चिडियाघर के पशुओ के लिए उपलब्ध किया गया कोई आवास अभिप्रेत है,

(ग) "बाडा अवरोध" से किसी पशु को बाडे के भीतर रोकने के लिए बनाया गया अवरोध अभिप्रेत है;

(घ) 'सकटापन्न प्रजाति" से अधिनियम की अनुसूची मे सम्मिलित प्रजातिया अभिप्रेत है,

(ङ) "प्ररूप" से इन नियमो के परिशिष्ट क मे उपवर्णित कोई प्ररूप अभिप्रेत है;

(च) "प्रदर्शन प्रयोजन" से कोई ऐसा प्रयास अभिप्रेत है जिसके द्वारा सरकस के करतब दिखाने सहित अस्वाभाविक कार्य करने के लिए पशु को बाध्य किया जाता है ;

(छ) "स्टैण्ड आफ बेरियर" से वह भौतिक अवरोध अभिप्रेत है जो बाह्य अवरोध के बाहरी किनारे से पीछे बनाया गया हो।

(ज) "जू आपरेटर" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका चिड़ियाघर के कार्यों पर अंतिम नियंत्रण हो परन्तु

(i) किसी फर्म अथवा व्यष्टियों के संगम की दशा में उसका कोई व्यष्टिक भागीदार अथवा उसका कोई सदस्य 'जू आपरेटर' माना जाएगा।

(ii) किसी कंपनी की दशा में चिड़ियाघर के कार्यों के लिए प्रभारी और कंपनी के लिए उत्तरदायी कोई निदेशक, प्रबन्धक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी 'जू आपरेटर' माना जाएगा।

(iii) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन किसी चिड़ियाघर के मामले में यथा-स्थिति, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चिड़ियाघर के कार्यों के प्रबंधन हेतु नियुक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को जू आपरेटर माना जाएगा।

3. मान्यता के लिए प्रार्थना पत्र.—किसी चिड़ियाघर को मान्यता देने के लिए अधिनियम की धारा 38ज के अधीन आवेदन प्ररूप 'क' में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को किया जाएगा।

4. आवेदन के लिए फीस—(क) नियम 3 के अधीन प्रत्येक आवेदन के लिए 500 रुपए की फीस का भुगतान किया जाएगा।

(ख) फीस की रकम का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर के माध्यम से केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली के पक्ष में किया जाएगा।

5. आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज और उसमें दिए जाने वाले ब्यौरे – प्रत्येक आवेदन के साथ विहित फीस भेजी जाएगी और उसमें प्ररूप 'क' में विनिर्दिष्ट मामलों में स्पष्ट ब्यौरे दिए जाएंगे।

6. पूछ-ताछ करने और जानकारी मांगने की प्रक्रिया – अधिनियम की धारा 38ज के अधीन चिड़ियाघर को मान्यता देने से पूर्व केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण चिड़ियाघर द्वारा प्ररूप 'क' में अपने आवेदन में दी गई जानकारी के संबंध में ऐसी पूछताछ कर सकता है और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है जैसी वह आवश्यक समझे।

7. मान्यता का स्वरूप : किसी चिड़ियाघर को दी गई मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात् –

(क) जब तक स्थाई आधार पर मान्यता प्रदान नहीं की जाती तब तक मान्यता ऐसी अवधि तक दी जाएगी जो एक वर्ष से कम नहीं होगी जैसा कि मान्यता में विनिर्दिष्ट हो।

(ख) चिड़ियाघर ऐसे मानकों अथवा मानदण्डों के अनुपालन में होगा जो समय समय पर अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अधीन विहित या अधिरोपित किए गए हैं या किए जाएं।

8. मान्यता का नवीकरण .

(क) अपनी मान्यता का नवीकरण कराने का इच्छुक कोई मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर मान्यता की अवधि समाप्त होने से 3 मास पूर्व प्ररूप 'क' में एक आवेदन केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को भेजेगा

(ख) नियम 3, नियम 4, नियम 5, नियम 6 और नियम 7 के उपबंधों की मान्यता के नवीकरण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार मान्यता देने के संबंध में लागू होते हैं सिवाय इसके कि मान्यता नवीकरण के लिए आवेदन के संबंध में फीस दो सौ रुपए देनी होगी।

9. चिड़ियाघरों का वर्गीकरण :- चिड़ियाघरों की मान्यता के लिए मानकों और मानदण्डों के निर्धारण और उनके निष्पादन की मानीटरिंग और मूल्यांकन के लिए चिड़ियाघरों का उनके क्षेत्र, पशुओं की संख्या और उनके प्रदर्शन की किस्म और आगन्तुकों की संख्या के आधार पर नीचे विनिर्दिष्ट चार प्रवर्गों में वर्गीकरण किया जाएगा।

चिड़ियाघर का प्रवर्ग	सुबृहत	मध्यम	छोटे	बहुत छोटे
चिड़ियाघर का क्षेत्रफल है. में	70 है. से अधिक	50-75 हैक्टेयर	20-50 हैक्टेयर	20 हैक्टेयर से कम
प्रदर्शित पशुओं की संख्या	75 से अधिक	500-750	200-499	200
प्रदर्शित पशुओं की किस्में	75 से अधिक नग	50-75 नग	20-49 नग	20 नग
प्रदर्शित संकटापन्न प्रजातियां	15 से अधिक	10-15	5-9	5 से कम
प्रतिवर्ष आगुन्तकों की संख्या	7.5 लाख से अधिक	5-7.5 लाख	2-5 लाख	2 09 लाख से कम

10 मानक और मानदण्ड जिनके अधीन अधिनियम की धारा 38ज के अन्तर्गत मान्यता दी जाएगी केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के हितों तथा निम्नलिखित मानकों, मानदण्डों तथा अन्य मामलों पर यथोचित ध्यान देते हुए मान्यता प्रदान करेगा।

सामान्य

(1) किसी चिड़ियाघर के संचालन का प्रमुख उद्देश्य वन्यजातों का संरक्षण करना होगा और कोई चिड़ियाघर ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो इस उद्देश्य से असंगत हो।

(2) अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों का अतिक्रमण करके कोई चिड़ियाघर किसी पशु को प्राप्त नहीं करेगा।

(3) कोई भी चिड़ियाघर किसी भी पशु के प्रति/पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) में यथा परिभाषित क्रूरता नहीं होने देगा या निष्पादन प्रयोजनों के लिए पशुओं के उपयोग सहित अनुमति नहीं देगा जिससे पशुओं को अनावश्यक पीड़ा, दबाव या उत्तेजना का सामना करना पड़े।

(4) कोई चिड़ियाघर मैदानी मार्गों में हाथी और पहाड़ी मार्गों में याक को छोड़कर अन्य किसी भी पशु को सवारी करने अथवा किसी यान खींचने के काम में नहीं लाएगा।

(5) कोई भी चिड़ियाघर किसी पशु का नख नहीं काटेगा या उसके दांत नहीं निकालेगा, जब तक ऐसा करना उसके हित में अनिवार्य न हो।

(6) कोई भी चिड़ियाघर किसी ऐसे पशु को प्रदर्शित नहीं करेगा जो गंभीर रूप से बीमार, घायल या अशक्त हो।

(7) प्रत्येक चिड़ियाघर कम से कम सप्ताह में एक बार दर्शकों के लिए बन्द रहेगा।

(8) प्रत्येक चिड़ियाघर पर एक परिधीय दीवार से घिरा होगा जिसकी ऊंचाई भूमि स्तर से कम से कम दो मीटर होगी। सफारी और डियर पार्कों के रूप में विद्यमान चिड़ियाघरों में चेन लिंक, उचित डिजाइन और आकार के बाड़े जारी रहेंगे।

(9) जू आपरेटर वृक्षारोपण करके हरी पट्टियां, आकार और लॉन एवं पुष्पवाटिका आदि बनाकर चिड़ियाघर में स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करेगा।

(10) किसी भी चिड़ियाघर में निर्मित क्षेत्र चिड़ियाघर के कुल क्षेत्रफल के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। निर्मित क्षेत्र में प्रशासनिक भवनों, भण्डार, अस्पताल, रेस्टोरेण्ट, कियास्क और दर्शक विश्राम शेड आदि, पशु गृह और पक्की सड़कें शामिल हैं।

(11) किसी भी चिड़ियाघर के मुख्य परिसर में कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर नहीं होंगे। इस प्रकार के परिसरों को यदि कोई हों, भूमि स्तर से कम से कम 2 मीटर ऊंची चारदीवारी बनाकर चिड़ियाघर के मुख्य परिसर से अलग किया जाएगा।

(12) प्रशासनिक और स्टाफिंग पद्धति

(12) प्रत्येक चिड़ियाघर में चिड़ियाघर का प्रभारी एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा। उस अधिकारी को चिड़ियाघर के पशुओं के उचित रख-रखाव और देखरेख के लिए आवश्यक उपयुक्त प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएंगी।

(13) प्रत्येक बड़े और मझोले चिड़ियाघर में कम से कम एक पूर्णकालिक रक्षक होगा जो पशुओं के रख-रखाव और पशु बाड़ों के अनुरक्षणों के लिए पूर्णरूप से जिम्मेवार होगा।

(14) प्रत्येक बड़े चिड़ियाघर में कम से कम दो पूर्णकालिक पशु चिकित्सक होंगे और मझोले व छोटे चिड़ियाघर में कम से कम एक पूर्णकालिक पशु चिकित्सक होगा। बहुत छोटे चिड़ियाघर में किसी बाहरी पशु चिकित्सक की व्यवस्था हो सकती है जो पशुओं की देखभाल के लिए प्रतिदिन चिड़ियाघर का दौरा करेगा।

पशु बाड़े डिजाइन, आयाम और अन्य जरूरी विशेषताएं

(15) प्रत्येक चिड़ियाघर में पशु बाड़ों का डिजाइन इस तरह से बनाया जाएगा ताकि पशुओं, केयरटेकरों और दर्शकों की सुरक्षा पूर्णतः सुनिश्चित की जा सके। दर्शकों को पशुओं से सुरक्षित दूरी पर रखने के लिए स्टैण्ड बैरियरों और पर्याप्त चेतावनी संकेतों की व्यवस्था की जाएगी।

(16) किसी चिड़ियाघर में सभी पशु बाड़े इस प्रकार से डिजाइन किए जाएंगे ताकि उनके भीतर रखे गए पशुओं की सभी जैविक अपेक्षाएं पूर्ण हो जाएं। बाड़े ऐसे आकार के होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पशु अपने स्वच्छन्द विचरण और अभ्यास के लिए स्थान पा सकें और झुंडों में रहने वाले पशुओं पर किसी विशिष्ट पशु का आधिपत्य न बन सके। जू-आपरेटर्स ऐसे पर्याप्त सुरक्षा उपाय करेंगे ताकि पशुओं को देखने के लिए लोगों द्वारा उनको अस्वाभाविक तरीके से न उकसाया जाए और उस पशु के दिखाई देने पर उनके आस पास के बाड़ों में रखे गए पशुओं पर अत्यधिक दबाव न पड़े।

(17) जू आपरेटर्स पशु बाड़ों में यथासम्भव व प्राकृतिक वास स्थानों के अनुरूप परिस्थितियां बनाने के प्रयास करेंगे। छाया प्रदान करने के लिए वृक्षों की उपयुक्त प्रजातियों का पौधरोपण तथा आश्रय स्थलों का निर्माण भी किया जाएगा जिससे पशु बाड़े के समग्र पर्यावरण का निर्माण होगा। जहां ऐसा करना तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो, वहां बाड़ा, अवरोधों के रूप में केवल खाइयां बनाई जाएंगी।

(18) जिन बाड़ों में इन नियमों के परिशिष्ट (ख) में उल्लिखित संकटापन्न स्तनपायी प्रजातियां रहती हैं, उनमें उक्त परिशिष्ट में दिए गए न्यूनतम आकार के खाना खिलाने और विश्राम करने के लिए विश्राम कक्ष होंगे। प्रत्येक विश्राम कक्ष में प्रजातियों की जैविक आवश्यकताओं के अनुरूप विश्राम, खाना खिलाने, पानी पिलाने और अभ्यास करने की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। गर्भधारण किए हुए पशुओं के लिए पृथक आवासों की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक कक्ष/विश्राम कक्ष/बाड़े के पशुओं के आराम और कल्याण के लिए उचित हवा और प्रकाश की व्यवस्था होगी।

(19) प्रत्येक कक्ष/विश्राम कक्ष/बाड़े में अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए नालियों की उचित व्यवस्था और पशुविष्ठा व अपशिष्ट पानी को निकालने की व्यवस्था की जाएगी।

(20) संकटापन्न प्रजातियों के लिए किसी नए बाड़े के डिजाइन को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जाएगा।

स्वच्छता, पोषण और रख-रखाव

(21) प्रत्येक चिड़ियाघर अलग अलग पशुओं की जरूरतों के अनुसार प्रत्येक पशु के लिए पर्याप्त मात्रा में पूर्ण और अपमिश्रण रहित भोजन की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा ताकि किसी भी पशु को अल्प आहार न मिले।

(22) प्रत्येक चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में उत्पन्न ठोस और तरल दोनों प्रकार के अपशिष्टों के शोधन के लिए उपयुक्त अपशिष्ट निपटान प्रणाली की व्यवस्था करेगा।

(23) प्रत्येक बाड़े से छोड़े गए भोजन की सभी मदों, पशु विष्ठा और कचरे को नियमित रूप से हटाया जाएगा और ऐसे तरीके से निपटाया जाएगा जो चिड़ियाघर की सामान्य सफाई के अनुरूप हो।

(24) जू-आपरेटर प्रत्येक कक्ष/बाड़े/विश्राम कक्ष में पीने के लिए पेय जल की निरन्तर आपूर्ति उपलब्ध करायेंगे।

(25) चिड़ियाघर के प्राधिकृत पशु चिकित्सा अधिकारी के निदेशों के अनुसार प्रत्येक बाड़े में समय समय पर संक्रमण-रोधक दवाओं का छिड़काव किया जाएगा।

पशुओं की देखभाल, स्वास्थ्य और उपचार

(26) पशुओं को केवल उन्ही कर्मचारियों द्वारा हैण्डल किया जाएगा जिनको विशिष्ट पशुओं का हैण्डल करने का अनुभव हो या उसमें प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। किसी पशु को बेचैनी, व्यवहार संबंधी दबाव अथवा शारीरिक क्षति से बचाने के लिए पूरी सावधानी बरती जाएगी।

(27) चिड़ियाघर में सभी जानवरों की दशा और स्वास्थ्य की उनकी देखभाल के प्रभारी अधिकारी द्वारा रोजाना जांच की जाएगी। यदि किसी पशु को बीमार, घायल अथवा अनावश्यक तनाव की हालत में पाया जाएगा तो उसकी रिपोर्ट शीघ्र इलाज के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी को दी जाएगी।

(28) परजीवी जांच सहित रोजमर्रा की जांच नियमित रूप से की जायेगी तथा ऐसे अन्तरालों पर, जैसा कि प्राधिकृत पशु चिकित्सा अधिकारी विनिश्चित करे, पशुओं पर टीका लगाने सहित निवारण औषधियां दी जायेगी।

(29) चिड़ियाघर आपरेटर कम से कम प्रत्येक छः मास में एक बार पशुओं के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों की चिकित्सा जांच की व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए करेंगे कि वे ऐसी बीमारियों से संक्रामित नहीं है जो चिड़ियाघर के पशुओं को लग जाए।

(30) प्रत्येक चिड़ियाघर केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा पहचानी गई संकटापन्न प्रजातियों के प्रत्येक पशु के संबंध में पशु हिस्ट्रीशीट और उपचार कार्ड रखेगा।

पशु चिकित्सा सुविधाएं :

(31) प्रत्येक बड़े और मझौले चिड़ियाघर के पास पूर्ण विकसित पशु चिकित्सा सुविधाएं होंगी जिसमें उपयुक्त रूप से सज्जित एक पशु चिकित्सा अस्पताल, आधारिक निदान सुविधाएं और पूरी औषधियां होंगी। प्रत्येक पशु अस्पताल में नए आने वाले पशुओं और बीमार पशुओं के लिए अलग और संगरोध वार्ड होंगे। ये वार्ड इस प्रकार अलग होने चाहिए जिससे कि चिड़ियाघर के दूसरे पशुओं में छूत की बीमारी न फैल सके।

(32) प्रत्येक पशु अस्पताल में बीमार पशुओं को नियंत्रित करने और उनसे निपटने की सुविधाएं होंगी जिसमें टीका लगाने के उपकरण और सिरिंज प्रोजेक्टर भी शामिल है। अस्पताल में पशुओं की देखभाल और सफाई से संबंधित एक संदर्भ पुस्तकालय भी होगा।

(33) जिन छोटे और बड़े चिड़ियाघरों में पूर्ण विकसित पशु चिकित्सा अस्पताल उपलब्ध नहीं है, उनमें चिड़ियाघरों के परिसरों में कम से कम एक उपचार कक्ष होगा जहां पशुओं की नैमित्तिक जांच की जा सके और तत्काल उपचार किया जा सके।

(34) प्रत्येक चिड़ियाघर में एक शव-परीक्षा कक्ष होगा। चिड़ियाघर में मरने वाले प्रत्येक पशु की शव परीक्षा की जायेगी तथा उसके निष्कर्षों को दर्ज और इसे कम से कम छः वर्ष की अवधि के लिए अनुरक्षित रखा जायेगा।

(35) प्रत्येक चिड़ियाघर के पास एक कब्रिस्तान होगा जहां मृत पशुओं की लाश को स्वास्थ्यकर तथा चिड़ियाघर की स्वच्छता पर प्रभाव पड़े बिना दफनाया जा सके। बड़े और मझौले चिड़ियाघरों में लाशों तथा अन्य अपशिष्ट सामग्री के निपटान के लिए भस्मक होंगे।

पशुओं का प्रजनन :

(36) प्रत्येक चिड़ियाघर केवल ऐसे पशुओं जिन्हें केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा उस चिड़ियाघर के लिए समनुदेशित किया जाता है, के प्रजनन के लिए एक कार्यक्रम तैयार करेगा। इस बारे में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के दिशा निर्देशों और मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करेंगे।

(37) प्रत्येक चिड़ियाघर पशुओं को जीने योग्य सामाजिक दलों में रखेगा। किसी भी पशु को बिना साथी के एक वर्ष की अवधि से अधिक समय तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि ऐसा करने के लिए कोई वैध कारण न हो या पशु का प्रजनन जीवित समाप्त हो गई हो और वह प्रजनन के लिए निष्क्रिय हो गया हो। यदि किसी चिड़ियाघर को, इस अवधि के भीतर किसी अकेले पशु के लिए कोई साथी नहीं मिलता है तो उस पशु को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार किसी अन्य स्थान पर अन्तरित कर दिया जायेगा।

(38) किसी भी चिड़ियाघर को किसी भी किस्म के अकेले पशु को प्राप्त करने की तब तक अनुमति न दी जायेगी जब तक ऐसा करना उस चिड़ियाघर में रखे गये अकेले पशु के लिए साथी ढूंढने के लिए या किसी कैप्टिव ब्रीडिंग ग्रुप में रक्त को बदलने के लिए ऐसा करना अनिवार्य न हो।

(39) प्रत्येक चिड़ियाघर पशुओं के नियमित आदान-प्रदान कार्यक्रम हाथ में लेगा ताकि अन्तः प्रजनन के विशिष्ट प्रभाव दुष्प्रभावों को रोका जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक चिड़ियाघर प्रत्येक संकटापन्न प्रजाति के संबंध में स्टड बुक रखेगा।

(40) अधिक बच्चे पैदा करने वाले पशुओं की आबादी में अनियन्त्रित वृद्धि के विरुद्ध सुरक्षा उपाय के रूप में प्रत्येक चिड़ियाघर नर और मादा को अलग रखने, नसबन्दी, नर बन्ध्याकरण और मादा बन्ध्याकरण और पैरेंट आदि के कार्यान्वयन जैसे उचित आबादी नियत्रक उपायों को कार्यान्वित करेगा।

(41) कोई भी चिड़ियाघर पशुओं को अलग अलग प्रजातियों के अलावा एक ही प्रजाति के पशुओं के अलग अलग वंशों के बीच संकट प्रजनन की अनुमति नहीं देगा।

रिकार्ड रखना और केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को सूची भेजना :

(42) प्रत्येक चिड़ियाघर सभी पशुओं के जन्म, अवाप्ति, बिक्री, निपटान और मृत्यु के रिकार्ड रखेगा। प्रत्येक चिड़ियाघर में रखे गए पशुओं की सूची को प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार होगी, उस वर्ष के 30 अप्रैल तक केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को भेज दी जाएगी।

(43) प्रत्येक चिड़ियाघर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए चिड़ियाघर में पशुओं की मृत्यु का एक सार भी अगले वर्ष के 30 अप्रैल तक प्रस्तुत करेगा जिसमें शव परीक्षा रिपोर्टों तथा अन्य नैदानिक जांचों के आधार पर पता लगाए गए पशुओं के कारणों को भी दर्शाया जाएगा।

(44) प्रत्येक चिड़ियाघर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान चिड़ियाघर के गतिविधियों की एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। उस वार्षिक रिपोर्ट की प्रति वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद 2 मास के भीतर केन्द्रीय चिड़िया घर प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जायेगी। यह रिपोर्ट उचित कीमत पर आम जनता को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

शिक्षा और अनुसंधान

(45) चिड़ियाघर में प्रत्येक बाड़े में एक साइन बोर्ड लगाया जाए जिसमें उस बाड़े में प्रदर्शित पशुओं के बारे में वैज्ञानिक सूचना दी जाएगी।

(46) प्रत्येक चिड़ियाघर पत्रक पुस्तिकाएं और मार्ग दर्शक पुस्तिकाएं प्रकाशित करेगा तथा उनको निःशुल्क अथवा उचित कीमत पर दर्शकों को उपलब्ध करायेगा।

(47) प्रत्येक वृहत और मध्यम चिड़ियाघर केन्द्रीय चिड़िया घर प्राधिकरण के निदेशों के अनुसार प्रदर्शित पशुओं के जीव वैज्ञानिक व्यवहार, जनसंख्या, गत्यात्मकता और पशु चिकित्सा देखभाल के बारे में लिखित रूप में विस्तृत टिप्पणियां रिकार्ड करने की व्यवस्था करेगा ताकि और बाद आंकड़ा आधार तैयार किए जा सकें। आंकड़ा आधारों का अन्य चिड़िया घरों तथा केन्द्रीय चिड़िया घर प्राधिकरण के साथ आदान-प्रदान किया जायेगा।

दर्शकों के लिए सुविधाएं

(48) जू आपरेटर दर्शकों के लिए सुविधा जनक स्थानों पर शौचालयों, दर्शक शैडों और पेय जल जैसी उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था करेंगे।

(49) चिड़िया घर के परिसरों में एम्बुलेंस सहित प्राथमिक चिकित्सा उपकरण आसानी से उपलब्ध रहेंगे।

(50) अपंग दर्शकों के लिए चिड़िया घर में पहुंचने की व्यवस्था की जाएगी जिसमें व्हील चेयर पर आने वाले दर्शक भी शामिल होंगे।

विकास और आयोजना

(51) प्रत्येक चिड़ियाघर अपने विकास के लिए एक दीर्घ कालिक महायोजना तैयार करेगा। चिड़िया घर एक प्रबंध योजना भी तैयार करेगा जिसमें अगले छह वर्षों के लिए विकास के प्रस्ताव और गतिविधियों का ब्यौरा दिया जाएगा। इन योजनाओं की प्रतिलिपियां केन्द्रीय चिड़िया घर प्राधिकरण को भेजी जाएंगी।

परिशिष्ट—क

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से धारा 38ज (उपधारा 2) के अधीन मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्ररूप

प्ररूप – क

सेवा में

सदस्य सचिव,
भारत का केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण,
नई दिल्ली

हम ———————————————————————————————————के संबंध में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ज के अधीन मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के पक्ष में 5001- रु. का एक बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर संलग्न है।

———————————————————के संबंध में अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित है :—

1. चिड़ियाघर का नाम
2. चिड़ियाघर की अवस्थिति और क्षेत्र
3. स्थापना की तारीख
4. नियंत्रण प्राधिकारी/आपरेटर का नाम
5. गत तीन वर्षों के (वर्षवार) दौरान चिड़ियाघर में आए दर्शकों की संख्या
6. एक कलैण्डर वर्ष के दौरान उन दिनों की कुल संख्या जिनमें चिड़ियाघर दर्शकों के लिए खुला रहा।
7. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पशु पक्षियों की संख्या

प्रदर्शित प्रजातियों की संख्या	पूर्ववर्ती वर्ष के अन्त में पशु पक्षियों की संख्या	जन्म	अवाप्ति	मृत्यु	निपटान	आवेदन की तारीख को पशु पक्षियों की संख्या
स्तनपायी						
सरीसृप						
उभयचर						
मछलियां तथा अन्य						
अकशेरुकी						

8. बाड़ों की कुल संख्या :

(1) खुले परिबावृत बाड़ों की संख्या

(2) बन्द पिंजड़ों/दरबों की संख्या

9. गत तीन वर्षों के दौरान प्रजनित संकटापन्न प्रजातियों की संख्या

10. पशु चिकित्सा सुविधाएं :—

(क) पूर्णकालिक पशु चिकित्सक उपलब्ध है या नहीं।

(ख) पशु चिकित्सा अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं।

(क) आपरेशन थियेटर/शल्य कक्ष

(ख) एक्स रे सुविधा।

(ग) स्क्वीज पिंजड़े

(घ) अन्तरंग रोगी वार्ड

(ङ) संगरोध वार्ड

(च) डिस्पेंसरी

(छ) पशुओं के बच्चों के लिए नर्सरी

(ज) रोग विज्ञान प्रयोगशाला

(झ) प्रशान्तक उपकरण/औषधियां

11. क्या चिड़ियाघर में निम्नलिखित सुविधाएं हैं

(1) रसोई

(2) खाद्य भण्डार

(3) डीप फ्रीज

(4) पेय जल सुविधाएं

(5) भोजन वितरण करने का वाहन/रिक्शा आदि

12. सफाई देखरेख और रोग नियंत्रण

क्या—

(1) पशुओं के लिए प्रदूषण मुक्त पेय जल उपलब्ध है ?

(2) बाड़ों में उपयुक्त जल निकासी प्रणालियां हैं ?

(3) कूड़ा-कचरे का निपटान नियमित रूप से किया जाता है ?

(4) कीट और परभक्षियों के नियंत्रण के लिए कार्यक्रम है ?

(5) कृमिहरण टीका लगाने जैसे निवारक उपायों की व्यवस्था की जा रही है ?

13. दर्शकों के लिए सुविधाएं :

क्या—

(क) प्रसाधन/स्नानगृह जैसी जन सुविधाएं हैं ?

(ख) पेयजल नलों की संख्या पर्याप्त है ?

(ग) उपयुक्त दूरियों पर दर्शकों के लिए शेड उपलब्ध है ?

(घ) दर्शक सूचना केन्द्र तथा प्रकृति व्याख्या संबंधी केन्द्र है ?

(ङ) चिड़ियाघर सबंधी शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है ?

(च) सार्वजनिक टेलीफोन बूथ उपलब्ध है ?

(छ) चिड़ियाघर में छतरियां (कियोस्क) तथा रेस्तरां उपलब्ध हैं ?

14 दर्शकों के लिए रक्षोपाय

क्या—

(क) बाड़ों के चारों ओर प्रभावी स्टैंड-ऑफ अवरोधक उपलब्ध कराए गए हैं ?

(ख) चेतावनी साइन बोर्ड पर्याप्त संख्या में हैं ?

(ग) प्राथमिक उपचार उपाय उपलब्ध हैं ?

15 गत तीन वर्षों के लिए चिड़ियाघर का बजट

राजस्व अनुदान कुल व्यय

16 वार्षिक रिपोर्ट मार्गदर्शक पुस्तकें विवरणिकाएं कोई अन्य प्रकाशन (प्रतियां संलग्न हैं)

17 चिड़ियाघर की महायोजना (प्रति संलग्न है)

परिशिष्ट 1

वन्य पशुओं की महत्वपूर्ण स्तनपाई प्रजातियों के लिए खाना खिलाने/आराम करने के लिए न्यूनतम विहित आकार वाले बाड़े/कोठरियां

प्रजाति का नाम	कोठरी/बाड़े की लम्बाई × चौड़ाई × ऊंचाई का आकार (मीटर में)
1	2
परिवार-फैलिडी	
बाघ और शेर	2.75 × 1.80 × 3.00
पैंथर	2.00 × 1.50 × 2.00
बदली चीता तथा हिम चीता	2.00 × 1.50 × 2.00
छोटी बिल्ली	1.80 × 1.50 × 1.50
परिवार—हाथी का	
हाथी	8.0 × 6.0 × 5.5
परिवार-गैंडे का	
एक सींग वाला भारतीय गैंडा	5.0 × 3.0 × 2.5
परिवार—मृग (सर्विडी)	
हिरण	3.0 × 2.0 × 2.5
हगुल	3.0 × 2.0 × 2.5
स्वाम्प हिरण	3.0 × 2.0 × 2.5
कस्तूरी मृग	2.5 × 1.5 × 2.0
माउस डियर	1.5 × 1.0 × 1.5
परिवार—गोशालीय (बोविडी)	
नीलगिरी ताहर	2.5 × 1.5 × 2.0
चिंकारा	2.5 × 1.5 × 2.0
चार सींगों वाला एन्टीलोप	2.5 × 1.5 × 2.0
जंगली गाय	3.0 × 1.5 × 2.0
भारतीय बाइसन	3.0 × 2.0 × 2.5
याक	4.0 × 2.0 × 2.5
भरल, गोरल, जंगली भेड़ तथा मारखोर	2.5 × 1.5 × 2.0
परिवार—एक्वुडी	
जंगली गधा	4.0 × 2.0 × 2.5
परिवार-उरसिडी	
सभी किस्म के भारतीय रीछ	2.5 × 1.8 × 2.0
परिवार-कैनिडी	
सियार भेड़िया तथा जंगली कुत्ता	2.5 × 1.5 × 1.5

1	2
परिवार–विवेरिडी	
मुसंग	2.0×1.0×1.0
बड़ी भारतीय मुसंग तथा बिन्टूरोंग	2.0×1.5×1.0
परिवार–मस्टेलिडी	
सभी प्रकार के ऊदबिलाव	2.5×1.5×1.0
बिज्जू/भालू सुअर	2.5×1.5×1.0
मार्टेन्स	2.0×1.5×1.0
परिवार–प्रेसियोनिडी	
लाल पांडा	3.0×1.5×1.0
परिवार–लोरिसिडी	
स्लो लोरिस तथा स्लेन्डर लोरिस	1.0×1.0×1.5
परिवार–सरकोपिथेसिडी	
बन्दर और लंगूर	2.0×1.0×1.5

[संख्या एफ 6-3/91-डब्ल्यू एल-1]

एस. एस. हसूरकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 1992

G.S.R. 711(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (1) of Section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Recognition of Zoo Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);

(b) "Enclosure" means any accommodation provided for Zoo animals;

(c) "Enclosure barrier" means a physical barrier to contain an animal within an enclosure;

(d) "Endangered species" means species included in Schedule I of the Act;

(e) "Form" means a form setforth in Appendix A to these rules;

(f) "Performing purposes" means any effort to force the animal to carry out unnatural act including performance of circus tricks;

(g) "Stand-of barrier" means a physical barrier set back from the outer edge of an enclosure barrier;

(h) "Zoo operator" means the person who has ultimate control over the affairs of the Zoo provided that—

(i) in the case of a firm or other association of individuals, any one of the individual partners or members thereof shall be deemed to be the Zoo operator;

(ii) in the case of a company, any director, manager, secretary or other officer, who is in-charge of and responsible to the company for the affairs of the zoo shall be deemed to be the Zoo operator;

(iii) in the case of a zoo owned or controlled by the Central Government or any State Government, or any local authority, the person or persons appointed to manage the affairs of the zoo by the Central Government, the State Government or the local authority, as the case may be shall be deemed to be the Zoo operator.

3. Application for recognition.—An application under section 38H of the Act for recognition of a zoo shall be made to the Central Zoo Authority in Form A.

4. Fees for application.—(a) There shall be paid in respect of every application under rule 3 a fee of Rupees five hundred.

(b) The amount of the fee shall be paid through Demand Draft|Postal Order(s) in favour of the Central Zoo Authority, New Delhi.

5. Documents to be filed alongwith the application and particulars it should contain.—Every application shall be accompanied by the prescribed fee and shall contain clear particulars as to the matters specified in Form A.

6. Power to make inquiries and call for information.—Before granting recognition to a zoo under section 38 H of the Act, the Central Zoo Authority may make such inquiries and require such further information to be furnished, as it deems necessary, relating to the information furnished by the zoo in its application in Form A.

7. Form of recognition.—The recognition granted to a zoo shall be subject to the following conditions, namely:—

(a) that the recognition unless granted on a permanent basis, shall be for such period not less than one year as may be specified in the recognition;

(b) that the zoo shall comply with such standards and norms as are or may be prescribed or imposed under the provisions of the Act and these rules from time to time.

8. Renewal of recognition.—(a) Three months before the expiry of the period of recognition, a recognised zoo desirous of renewal of such recognition may make an application to the Central Zoo Authority in Form A.

(b) The provisions of rules 3, rule 4, rule 5, rule 6 and rule 7 shall apply in relation to renewal of recognition as they apply in relation to grant of recognition except that, the fee payable in respect of an application for renewal of recognition shall be rupees two hundred.

Classification of 2009!-For the purposes of deciding standards and norms for recognition of zoos and moniorting and evaluating their performance, the zoos, on the basis of the area, number of animals and their variety exhibited, and the number of visitors, shall be classified into four categories as specified below :—

Category of the Zoo	Large	Medium	Small	Mini
Area of the zoo in hectares	More than 75 hectare	50—75 hectare	20—50 hectare	Less than 20 hectare
Number of animals exhibited	More than 750	500—750	200—499	200
— Animals variety exhibited	More than 75 numbers	50—75 numbers	20—49 numbers	20 numbers
Number of endangered species exhibited	More than 15	10—15	5—9	Less than 5
Annual Attendance of visitors per year	More than 7.5 lakhs	5—7.5 lakhs	2—5 lakhs	Less than 2 00 lakhs

10. Standards and norms subject to which recognition under section 38H of the Act shall be granted.—The Central Zoo Authority shall grant recognition with due regard to the interests of pro ection and conservation of wild life, and such standards, norms and other matters as are specified below :—

GENERAL

(1) The primary objective of operating any zoo shall be the conservation of wildlife and no zoo shall take up any activity that is inconsistent with this objec ive.

(2) No zoo shall acquire any animal in violation of the Act or rules made thereunder.

(3) No zoo shall allow any animal to be subjected to the cruelties as defined under the Prevention of Cruelty to Animals Act. 1960 (59 of 1960) or permit any activity that exposes the animals to unnecessary pain, stress or provocation, including use of animal for performing purposes.

(4).No zoo shall use any animal, other than the elephants in plains and yalk in hilly areas for riding purposes or draughting any vehicle.

(5) No zoo shall keep any animal chained or tcethered unless doing so is essential for its own well being.

(6) No zoo shall exhibit any animal that is seriously sick, injured or infirm.

(7) Each zoo shall be closed to visitors at least once a week.

(8) Each zoo shall be encompassed by a perimeter wall with at least two metres height from the ground level. The existing zoos in the nature of safaries and deer parks will continue to have chain link, fence of appropriate design and dimensions.

(9) The zoo operators shall provide a clean and healthy environment in the zoo by planting trees, creating green belts and providing lawns and flower bed etc.

(10) The built up area in any zoo shall not exceed twenty five per cent of the total area of the zoo. The built up area includes administrative buildings, stores, hospitals, restaurants, kiosks and visitor rest sheds etc., animal houses and pacca roads.

(11) No zoo shall have the residential complexes for the staff within the main campus of the zoo. Such complex, if any, shall be separated from the main campus of the zoo by a boundary wall with a minimum height of two metres from the ground level.

ADMINISTRATIVE AND STAFFING PATTERN

(12) Every zoo shall have one full-time officer in-charge of the zoo. The said officer shall be delegated adequate administrative and financial powers as may be necessary for proper upkeep and care of zoo animals.

(13) Every large and medium zoo shall have at least one full-time curator having the sole responsibility of looking after the upkeep of animals and maintenance of animal enclosures.

(14) Each large zoo shall have at least two full-time veterinarians and medium and small zoo shall have at least one full-time veternarian. The mini zoo may at least have arrangement with any outside veterinarian for visiting the zoo every day to look after the animals.

ANIMAL ENCLOSURES—DESIGN, DIMENSIONS AND OTHER ESSENTIAL FEATURES

(15) All animals enclosures in a zoo shall be so designed as to fully ensure the safety of animals, caretakers and the visitors. Stand of barriers and adequate warning signs shall be provided for keeping the visitors at a safe distance from the animals.

(16) All animal enclosures in a zoo shall be so designed as to meet the full biological requirements of the animals housed therein. The enclosures shall be of such size as to ensure that the animals get space for their free movement and exercise and the animals within herds and groups are not unduly dominated by individuals. The zoo operators shall take adequate safeguards to avoid the animals being unnaturally provoked for the benefit of viewing by public and excessive stress being caused by visibility of the animals in the adjoining enclosures.

(17) The zoo operators shall endeavour to simulate the conditions of the natural habitat of the animal in the enclosures as closely as possible. Planting of appropriate species of trees for providing shade and constructing shelters which would merge in the overall environment of the enclosures, shall also be provided. Wherever it is technically feasible, only moats shall be provided as enclosure barriers.

(18) The enclosures housing the endangered mammalian species, mentioned in Appendix I to these rules, shall have feeding and retiring cubicles|cell of minimum dimensions given in the said appendix. Each cubic|cell shall have resting, feeding, drinking water and exercising facilities, according to the biological needs of the species. Separate accommodation shall be provided for pregnant animals. Proper ventilation and arrangements for removal of excreta and residual water be provided in each cell|cubicle|enclosure.

(19) Proper arrangement of drainage of excess of water and arrangements for removal of excreta and residual water from each cell|cubicle|enclosure shall be made.

(20) Designing of any new enclosure for endangered species shall be finalized in consultation with the Central Zoo Authority.

HYGIENE, FEEDING AND UPKEEP

(21) Every zoo shall ensure timely supply of wholesome and unadulterated food in sufficient quantity to each animal according to the requirement of the individual animals, so that no animal remains undernourished.

(22) Every zoo shall provide for a proper waste disposal system for treating both the solid and liquid wastes generated in the zoos.

(23) All left over food items, animal excreta and rubbish shall be removed from each enclosure regularly and disposed of in a manner congenial to the general cleanliness of the zoo.

(24) The zoo operators shall make available round the clock supply of potable water for drinking purposes in each cell|enclosure|cub cle.

(25) Periodic application of disinfactants in each enclosure shall be made according to the directions of the authorised veterinary officer of the zoo.

ANMAL CARE, HEALTH AND TREATMENT

(26) The animals shall be handled only by the staff having exeprience and training in handling the individual animals. Every care shall be taken to avoid discomfort, behavorial stress or physical harm to any animal.

(27) The condition and health of all animals in the zoo shall be checked every day by the person in-charge of their care. If any animal is found sick, injured or unduly stressed the matter shall be reported to the veterinary officer for providing treatment expeditiously.

(28) Routine examination including parasite checks shall be carried out regularly and preventive medcines including vaccination be administered at such intervals as may be decided by the authorised veterinary officers.

(29) The zoo operators shall arrange for medical check-ups of the staff responsible for upkeep of animals at least once in every six months to ensure that they do not have infections of such diseases that can infect the zoo animals.

(30) Each zoo shall maintain animal history sheets and treatment card in respect of each animal of endangered species, identified by the Central Zoo Authority.

VETERINARY FACILITIES

(31) Every large and medium zoo shall have full-fledged veterinary facilities including a properly equipped veterinary hospital, basic diagnostic facilities and comprehensive range of drugs. Each veterinary hospital shall have isolation and quarantine wards for newly arriving animals and sick animals. These wards should be so located as to minimise the chances of infections spreading to other animals of the zoo.

(32) Each veterinary hospital shall have facilities for restraining and handling sick animals including tranquilizing equipments and syringe projector. The hospital shall also have a reference library on animal health care and upkeep.

(33) The small and mini zoos, where full-fledged veterinary hospital is not available, shall have at least a treatment room in the premises of the zoo where routine examination of animals can be undertaken and immediate treatment can be provided.

(34) Every zoo shall have a post-mortem room. Any animal that dies in a zoo shall be subjected to a detailed post-mortem and the findings recorded and maintained for a period of at least six years.

(35) Each zoo shall have a graveyard where the carcasses of dead animals can be buried without affecting the hygiene and the cleanliness of the zoo. The large and medium zoos shall have an inscinerators for disposal of the carcasses and other refuse material.

BREEDING OF ANIMALS

(36) Every zoo shall formulate a programme for captive breeding of only such animals as are approved by the Central Zoo Authority for that zoo. They shall abide by the guidelines and directives of the Central Zoo Authority in this regard.

(37) Every zoo shall keep the animals in viable, social groups. No animal will be kept without a mate for a period exceeding one year unless there is a legitimate reason for doing so or the animal has already passed its prime and is of no use for breeding purposes. In the event of a zoo failing to find a mate for any single animal within this period, the animal shall be shifted to some other place according to the directions of the Central Zoo Authority.

(38) No zoo shall be allowed to acquire a single animal of any variety except when doing so is essential either for finding a mate for the single animal housed in the said zoo or for exchange of blood in a captive breeding group.

(39) Every zoo shall take up regular exchange programmes of animals so as to prevent the traits or ill effects of in b[illegible]. To achieve this objective each zoo shall maintain a stud book in respect of every endangered species.

(40) To safeguard against uncontrolled growth in the population of prolifically breeding animals, every zoo shall implement appropriate population control measures like separation of sexes, sterilization, vasectomy, tubectomy and implanting of pallets etc.

(41) No zoo shall permit hybridization either between different species of animals or different races of the same species of animals.

MAINTENANCE OF RECORDS AND SUBMISSION OF INVENTORY TO THE CENTRAL ZOO AUTHORITY

(42) Every zoo shall keep a record of the birth acquisitions, sales, disposals and deaths of all animals. The inventory of the animals housed in each zoo as on 31st March of every year shall be submitted to the Central Zoo Authority by 30th April of the same year.

(43) Every zoo shall also submit a brief summary of the death of animals in the zoo for every financial year, along with the reasons of death identified on the basis of post-mortem reports and other diagnostic tests, by 30th April of the following year.

(44) Every zoo shall publish an annual report of the activities of the zoo in respect of each financial year. The copy of the said annual report shall be made available to the Central Zoo Authority, within two months, after the end of the financial year. The report shall also be made available to the general public at a reasonable cost.

EDUCATION AND RESEARCH

(45) Every enclosure in a zoo shall bear a sign board displaying the scientific information regarding the animals exhibited in it.

(46) Every zoo shall publish leaflets, brouchers and guide books and make the same available to the visitors either free of cost or at a reasonable price.

(47) Every large and medium zoo shall make arrangements for recording in writing, the detailed observations about the biological behaviour, population dynamics and veterinary care of the animals exhibited as per directions of the Central Zoo Authority so that a detailed data base could be developed. The data base shall be exchanged with other zoos as well as the Central Zoo Authority.

VISITOR FACILITIES

(48) The zoo operators shall provide adequate civic facilities like toilets, visitor sheds, and drinking water points at convenient places in the zoo for visitors.

(49) First-aid equipments including anti-venom shall be readily available in the premises of the zoo.

(50) Arrangements shall be made to provide access to the zoo for disabled visitors including those in the wheel chair.

DEVELOPMENT AND PLANNING

(51) Each zoo shall prepare a long-term master plan for its development. The zoo shall also prepare a management plan, giving details of the proposal and activities of development for next six years. The copies of the said plans shall be sent to the Central Zoo Authority.

APPENDIX A

APPLICATION FOR GETTING RECOGNITION FROM THE CENTRAL ZOO AUTHORITY UNDER SECTION 38H (sub-section 2)

FORM-A

To,

The Member-Secretary,
Central Zoo Authority of India,
New Delhi.

We want to get recognition under section 38H of the Wild Life (Protection) Act, 1972 in respect of————————————————————. Bank draft/Postal Order for Rs. 500 drawn in favour of Central Zoo Authority is also enclosed. The required information in respect of ——————is as under :

1. Name of the Zoo :
2. Location of the Zoo and Area :
3. Date of establishment :
4. Name of controlling authority/ Operator :
5. Total number of visitors to the zoo during the last three years : (Year-wise)
6. Total number of days on which zoo is open to visitors during a calendar year;
7. Number of animals exhibited by the zoo :

	Number of species exhibited	Stock position on the close of preceding year	Stock position during the current financial year Births	Acquisitions	Deaths	Disposals	Stock as on the date of application
MAMMALS							
BIRDS							
REPTILES							
AMPHIBIANS							
FISHES AND OTHER INVERTEBRATES							

8. Total number of enclosures :
   (i) Open air moated enclosures.
   (ii) Closed cages/aviaries.
9. List of endangered species bred during last 3 years :
10. Veterinary facilities :
   (a) Whole time veterinarian is available or not
   (b) Facilities available in the Vetarinary Hospital :
      (a) Operation theatre Surgical room.
      (b) X-ray facility.
      (c) Squeeze cages.
      (d) Indoor patient ward.
      (e) Quarantine ward.
      (f) Dispensary
      (g) Nursery for hand-rearing animal babies.
      (h) Pathological laboratory.
      (i) Tranquilising equipments/drugs.
11. Whether the following facilities exist in the Zoo :
   (i) Kitchen
   (ii) Food store
   (iii) Deep Freeze
   (iv) Potable water facility
   (v) Food distribution Van/Rickshaw etc.
12. Sanitary care and disease control : whether—
   (i) Pollution free water to animals for drinking is available ?
   (ii) Proper drainage system exists in enclosures?
   (iii) Regular disposal of refuse material is done?
   (iv) Programme for control of pests and predators exists?
   (v) Preventive measures like deworming and vaccination are being provided?

13. Amenities to visitors :

Whether—

(a) Public facilities like toilets, bathrooms exist ?

(b) Sufficient number of drinking water taps available ?

(c) Visitors sheds at reasonable distances are available ?

(d) Visitor information centre and nature interpretation centre exist

(e) Zoo Education facilities have been provided ?

(f) Public telephone booths are available ?

(g) Kiosks and Restaurants are available at the zoo ?

14. Safety measures for visitors

Whether—

(a) Effective stand-off barriers have been provided around enclosures ?

(b) Adequate number of warning sign boards exist ?

(c) First-Aid measures are available ?

15. Budget of the Zoo for last 3 years

Revenue	Grants	Total expenditure

16. Annual Report, Guide books, Brochure any other publication (copies enclosed)

17. Master plan of the Zoo (copy enclosed)

APPENDIX—I

MINIMUM PRESCRIBED SIZE FOR FEEDING/RETIRING CUBICLE/ENCLOSURES FOR IMPORTANT MAMMALIAN SPECIES OF CAPTIVE ANIMALS

Name of the Species	Size of the cubicle/enclosure length × breadth × height in meters
1	2
Family—Felidae :	
Tiber and lions.	2.75×1.80×3.000
Panther	2.00×1.50×2.00
Clouded leopard & snow leopard	2.00×1.50×2.00
Small cats	1.80×1.50×1.50
Family—Elephantidae	
Elephant	8.0×6.0×5.5
Family—Rhinocerotidae	
One-horned Indian Rhinoceros	5.0×3.0×2.5
Family—Cervidae	
Brow antlered deer	3.0×2.0×2.5
Hangul	3.0×2.0×2.5
Swamp deer	3.0×2.0×2.5
Musk deer	2.5×1.5×2.0
Mouse deer	1.5×1.0×1.5
Family—Bovidae	
Nilgiri tahr	2.5×1.5×2.0
Chinkara	2.5×1.5×2.0

1	2
Four horned antilope	2.5×1.5×2.0
Wild Buffalo	3.0×1.5×2.0
Indian Biason	3.0×2.0×2.5
Yak	4.0×2.0×2.5
Bharat, goral, wild sheep and Markhor	2.5×1.5×2.0
Family—Equidae	
Wild Ass	4.0×2.0×2.5
Family—Ursidae	
All types of Indian bears	2.5×1.8×2.0
Family—Canidae	
Jackal, Wolf & Wild dog	2.0×1.5×1.5
Family—Vivirridae	
Palmcivet	2.0×1.0×1.0
Large Indian Civet & Binturong	2.0×1.5×1.0
Family—Mustellidae	
Otters all types	2.5×1.5×1.0
Ratel/Hogibadger	2.5×1.5×1.0
Martens	2.0×1.5×1.0
Family—Pracyonidae	
Red Panda	3.0×1.5×1.0
Family—Lorisidae	
Slow loris and Slender loris	1.0×1.0×1.5
Family—Cercopitheeidae	
Monkeys and langurs	2.0×1.0×1.5

[F.No. 6-3/91-WL.I]

S.S. HASURKAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992